## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 33/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

पवन कुमार पुत्र प्रीतपाल जाति जाट निवासी चक न.2 एस.एन.जी ढाणी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–वादी

बनाम्

1. प्रीतपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी तेजाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
2. रमन पुत्री प्रीतपाल जाति जाट निवासी तेजाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादीगण
2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1 व 2

**निर्णय** दिनांक :– 5.4.2024

वादी पवन कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 08-02-2024 को इस न्यायालय में पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है वादी प्रतिवादी सं 1 का पुत्र व प्रतिवादी सख्या 2 का भाई है प्रतिवादी सख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 2 एस.एन.जी ज.स 2071–2074 के खाता स 53/36 मे 2.680 हे0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 2 एस.एन.जी ज.स.2071–2074 के खाता स.53/36 मे 2.680हे0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी सख्या 2 का प्रतिवादी सख्या 1 के बराबर ब.ही.ब हक व हिस्सा जन्म से बनता है। प्रतिवादी स 2 ने अपने विरास्तन हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी व प्रतिवादी स 1 के ब.हि.ब कर दिया है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी सख्या.1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया है। मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी स.1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि गाव तेजाखेडा तहसील डबवाली मे प्राप्त कर ली है व उक्त खाता चक न.2 एस.एन.जी ज. स.2071–2074 के खाता स 53/36 मे 2.680हे0 कृषि भूमि वादी के हिस्सा मे आई है व वादी इसीअनुसार काश्त करता आ रहा है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 3 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा व उक्त भूमि को रहन बैय न करे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि वाद पत्र बाबत घोषणा का हैं जो उचित 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है। कि प्रति[illegible] 3 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा ग[illegible] है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वादी [illegible] निम्न प्रकार से [illegible] फरमाया जावें। (क) कि प्रतिवादी स 1 के नाम चक न 2 एस.एन.जी ज.स 2071–2074 के खाता स 53/36 मे 2.680हे0 कृषि भूमि का **वादी** को खातेदार काश्तकार घोषित कर [illegible] सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया साक्ष्य वादी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:32:05
Reason: SelfAttested

वादी ने शपथ पत्र अ. आ 18 नि 4 सि.पी.सी पेश किया तथा सलग्न जमाबन्दी चक न 2 एस. एन.जी ज.स 2071–2074 के खाता स 53/36 प्रदर्श 1 है व आधार कार्ड वादी प्रदर्श 2 है। वकील वादी शेष साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलीए साक्ष्य वादी बंद की जाकर वकील प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी हेतू अवसर दिया गया वकील प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलीए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को प्रतिवादी स 1 के नाम चक न 2 एस.एन.जी ज.स 2071–2074 के खाता स 53/36 मे 2.680हे0 कृषि भूमि का **वादी** को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादी के कथनो का विरोध नही करते हूऐ मुताबिक वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 के राजीनामा वाद पत्र को डिक्री करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आराजी के सह–काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है किः–
प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 2 एस.एन.जी ज.स 2071–2074 के खाता स 53/36 मे 2.680हे0 कृषि भूमि का **वादी** को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।
निर्णय आज दिनांक 5.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राकेश कुमार मीना )
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी संगरिया**

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:32:0
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6—7 व्या.प्रक्रिया संहिता

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— **राकेश कुमार मीना** (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 33 / 2024
वाद पत्र अ.धारा :— 88 आरटीए

...वन कुमार पुत्र प्रीतपाल जाति जाट निवासी चक न.2 एस.एन.जी ढाणी ढाबा तहसील संगरिया ...जिला हनुमानगढ राज.

--वादी

**बनाम्**

प्रीतपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी तेजाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
...रमन पुत्री प्रीतपाल जाति जाट निवासी तेजाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

**दिनांक** :— 05 / 04 / 2024.

...यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते ...इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकील वादी मिन जामिन मुदई व ...श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न. 2 एस.एन.जी ज.रा. 2071—2074 के खाता स 53 / 36 मे 2.680हे0 कृषि भूमि का **वादी** को खातेदार काश्तकार घोषित ...कर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। ...राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे

नोटः— बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

...निज............नल.......X.......मुब्लिक.......X.......निल.......X.......बाबत.......X.......निल.......X.......खर्चा मुकदमें ...क मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ..........X..........अदा करें। ...बमब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.......05-04-2024.......जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )
**सहायक कलक्टर एवं**
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K... Meena
Date: 2024.04.26 11:32:05 IS...
Reason: SelfAttested